चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत आज दिनांक 25.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के अलावा जागरुकता हेतु चलाए जा रहे अभियानों के बारे में सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 25.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक-25.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरूण कुमार सिंह,अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में आकस्मिक परिस्थिति व सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था व समाज में सुरक्षित/भय मुक्त वातावरण बनाने के लिये पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में थाना/चौकी के पुलिस बल द्वारा पुलिस लाइन चित्रकूट में बलवा/दंगा नियंत्रण ड्रिल का पूर्वाभ्यास किया गया ।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण द्वारा दंगा नियंत्रण ड्रिल की 10 पार्टियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी एवं मुख्य आरक्षी आर्मोरर राम महेश द्वारा एण्टी राइड गन, गैस गन एवं पम्प एक्शन गन को हैण्डलिंग करने एवं

प्रयोग करने के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया गया। अधि0/कर्म0गण द्वारा विधि विरूद्ध भीड़ को तितर-बितर करने के लिए रबर बुलेट गन, लाठी चार्ज, अश्रु गैस के गोले, एंटी राइट गन, टीयर स्मॉक गन (गैस गन), हैंड ग्रेनेड, सैल आदि के प्रयोग का पूर्वाभ्यास भी किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान दंगाइयों/बलवाइयों पर प्रयोग करने वाले एंटी राइट गन, टीयर स्मॉक गन, हैंड ग्रेनेड, टीयर स्मोक सेल आदि के प्रयोग के समय बरती जाने वाली सावधानियों एवं इनके प्रयोग करने के तरीके के बारे में अवगत कराया गया ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में सिखलाए गए तरीकों से ऐसी परिस्थितियों का अच्छे से सामना किया जा सकें।

दंगा नियन्त्रण मॉक ड्रिल में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय,क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकमल,क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जय करन सिंह, क्षेत्राधिकारी लाइन्स/कार्यालय श्री यामीन अहमद,क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु श्री फहद,पीआरओ श्री प्रदीप पाल एवं समस्त थाना/चौकी प्रभारी मय थाना पुलिस बल के उपस्थित रहे।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी खण्डेहा श्री विनय विक्रम व उनकी टीम आरक्षी मनीष यादव, आरक्षी अभिषेक कुमार द्वारा अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र अशोक उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बम्बुरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 09 लीटर कच्ची शराब महुआ के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा आशुतोष तिवारी द्वारा भोली भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1. शिवाकान्त द्विवेदी पुत्र रामानुज द्विवेदी निवासी ग्राम नैनी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 2. छोटू उर्फ शिवाकान्त चतुर्वेदी पुत्र भार्गव प्रसाद निवासी ग्राम बिहरवां थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 3.राममिलन उर्फ पुति स्व0 कुलबुल उर्फ चन्द्रपाल निवासी ग्राम सरधुवा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 4.विकास पुत्र प्रहलाद निवासी देवारी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 5.अमित तिवारी पुत्र नकुल तिवारी निवासी ग्राम बरद्वारा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 6.दीपक पाण्डेय पुत्र दुवुकबा निवासी ग्राम लमियारी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 7.दिनेश पुत्र सक्लू रैदास निवासी ग्राम लमियारी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 129 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पहाडीं श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी आकाश यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 136/2021 धारा 498ए, 304 बी भादवि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त 1.श्रवण कुमार उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 शिवसागर 2.आनन्द मिश्रा पुत्र स्व0 शिवसागर 3. रमाशंकर मिश्र पुत्र हनुमान प्रसाद 4. श्रीमती गौरा देवी पत्नी स्व0 शिवसागर

निवासी पचोखर थाना पहाडी जनपद चित्रकूट को 08-08 वर्ष सश्रम कारावास व 08-08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है वादी श्री राजकुमार पाण्डेय पुत्र जगपत निवासी सुरसेन थाना राजापुर जनपद चित्रकूट ने थाना पहाड़ी में सूचना दी थी कि दिनांक 18.09.2021 को अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री प्रीति को दहेज के लिए प्रताड़ित करना मांग पूरी न करने पर जान से मार डालना। सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 136/2021 धारा 498ए,304(B) भादवि0 व ¾ द0प्र0 अधिनियम बनाम मृतका का पति श्रवण कुमार उर्फ कृष्ण कुमार , सास गौरा देवी , देवर आनन्द कुमार ,रमाशंकर मिश्रा पुत्र हनुमान पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री शिवप्रकाश सोनकर द्वारा संपादित की गयी। अभियुक्त श्रवण कुमार, आनन्द कुमार, गौरा देवी उपरोक्त को दिनाँक 22.09.2021 को तथा अभियुक्त रमाशंकर मिश्र पुत्र हनुमान प्रसाद उपरोक्त दिनाँक 25.09.2021 को गिरफ्तार किया गया तथा दिनाँक 13.12.2021 को उपरोक्त चारो अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(7). आज दिनाँक 25.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा चौकी प्रभारी सीतापुर श्री अनिल कुमार गुप्ता एवं चौकी प्रभारी खोही श्री रमेश सिंह यादव की उपस्थिति में आगामी दीपावली/कार्तिक अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत रामघाट,निर्मोही अखाड़ा,टैम्पो स्टैण्ड एवं पुरे परिक्रमा मार्ग का पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया,पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्मोही अखाड़ा पर बने नाले को नगर पालिका से वार्ता कर सफाई कराने तथा पास में बैरकेडिंग लगवाये जिससे मेला में क्षेत्र में आने वाले दर्शनार्थियों को गिरने से बचाया जा सके एवं मेला में क्षेत्र अत्यधिक भीड़ भाड़ होने के कारण टैम्पो स्टैण्ड एवं बस स्टैण्ड आदि चार पहिया वाहनों के खड़े करने हेतु स्टैण्डों का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

इस दौरान एवं पीआरओ श्री प्रदीप पाल एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(8). आज दिनाँक 25.10.2024 को अपर जिलाधिकारी श्री उमेश चन्द्र निगम एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी नगर सुश्री पूजा साहू एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल की उपस्थिति में आगामी दीपावली/कार्तिक अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत परिक्रमा मार्ग का पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा अपर जिलाधिकारी द्वारा नगर पालिका को परिक्रमा मार्ग में कई स्थानों पर रखे हुए कचड़े को सफाई कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

इस दौरान अधिशाषी अभियन्ता नगर पालिका श्री लालाजी यादव व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित रहें।